

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -36/0 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/05/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लंबाई 05 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध में।(प्रस्ताव सं0- 43777 /2020)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0-08 बी/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056, दिनांक 09.09.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 7455/12-1, दिनांक 04.05.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)  
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

8 MAY 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 7455 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, अप्रैल, 2026।  
4/5/26

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० २३-१२-२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2055/12-1 दिनांक 13.10.2025 व पत्रांक 7067/12-1 दिनांक 30.05.2025 द्वारा आख्या पूर्व में मय संलग्नक प्रेषित की जा चुकी है। पुनः बिन्दुवार आख्या प्रश्नोत्तर रूप में निम्नवत् प्रेषित है:-

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 सं० 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं० 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के०एम०एल० फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 हे० है, जिसमें से 2.61 हे० नाप भूमि है व शेष 1.89 हे० वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है ।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।